

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. १ (८)()सामा./सान्याअवि/2019/

५०५९२

जयपुर, दिनांक :

२४/८/१९

विज्ञाप्ति

विभाग की विज्ञाप्ति क्रमांक एफ. १(८)()सामा./सान्याअवि/2019/42667 जयपुर, दिनांक 17.7.2019 के द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के पावन अवसर पर, अम्बेडकर महिला पुरस्कार, एवं अम्बेडकर न्याय पुरस्कार हेतु दिनांक 31.7.2019 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे। उक्त पुरस्कारों हेतु प्रस्ताव अब दिनांक 11.9.2019 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अम्बेडकर महिला पुरस्कार, एवं अम्बेडकर न्याय पुरस्कारों के लिए इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला कलक्टर के माध्यम से निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी ३/१ राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 11.09.2019 तक डाक से अथवा व्यक्तिश जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नहीं करे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट [www. sje. rajasthan. gov. in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) एवं जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न० ०१४१—२२२०१९४ पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(सांवरणल वामु १५)
निदेशक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/अम्बेडकर मवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. १ (८) ()सामा./सान्ध्यावि/2018/ ३५८३।

जयपुर, दिनांक : १२ ६/९

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की जयन्ती के पावन अवसर पर निम्न पुरस्कारों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं	पुरस्कार	क्षेत्र	राशि
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो / संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलकटर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठिता का प्रमाण—पत्र। 3. संस्था / व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों / जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। 4. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय भूमिका / योगदान रहा हो। 5. संस्था / व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।	1.00 लाख रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र
2.	अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	1. राजस्थान का मूल निवासी हो / संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2. जिला कलकटर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठिता का प्रमाण—पत्र। 3. संस्था / महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों / जनजातियों के महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4. महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो। 5. संस्था / महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य हो।	51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र
3	अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1. राजस्थान का मूल निवासी हो। 2. जिला कलकटर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठिता का प्रमाण—पत्र। 3. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क / न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव। 4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों / नियमों में कोई संशोधन करवाया हो / नये अधिनियम / नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।	51,000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र

नोट : आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जी ३/१ राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 15.07.2019 तक डाक से अथवा व्यक्तिश जमा कराए जा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। गत वर्षों में पुरस्कृत संस्था / व्यक्ति आवेदन नहीं करे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष नं 0141-2220194 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विभाग का Email sjerajasthan@yahoo.co.in है।

Yes
 (सांवरप्रलवसी)
 निदेशक

अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

१३३
७४

(दिवांक १.१.२००..... तक पिछले ५ वर्षों से कार्यरत हो आवेदन करें।)

१. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का नाम
२. पिता का नाम.....
३. जन्मतिथि
४. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का पता
स्थायी पता
५. पत्र व्यवहार का पताफोन नं.
६. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या दिनांक (पुष्टि हेतु
सत्यापित प्रति संलग्न करें)
७. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए संस्था/व्यक्ति द्वारा पिछले ५ वर्षों किये
गये कार्यों का विवरण मय दस्तावेज
८. जिला कलक्टर द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र
९. भारत सरकार/राज्य सरकार/ जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि
कोई हो)
१०. संस्था द्वारा विदेशी/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले ५ वर्षों का वर्षवार
विवरण.....
११. संस्था/व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर

उपरोक्तसंस्था/ व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का
सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था/ व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष,
दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

(140/37)

अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

1. महिला/ संस्था का नाम
2. पिता/ पति का नाम
3. जन्मतिथि
4. पता :
पत्र व्यवहार का पता :
स्थायी पता : फोन. न.
5. अगर संस्था है तो संस्था का पंजीयन संख्या दिनांक
6. महिला/संस्था द्वारा पिछले ५ वर्षों में बाबा साहेब के सिद्धान्तों के अनुरूप किये गये उल्लेखनीय कार्यों का दस्तावेज सहित विवरण
7. महिला कल्याण के लिए किये गये कार्यों का विवरण
8. पूर्व में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनका विवरण

आवेदक/संस्था के मुख्या का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलकट्टा

उपरोक्त संस्था/ महिला ग्राम/कस्बा तहसील
जिला के सम्बन्ध में इनके द्वारा दिये गए विवरण का सत्यापन करवा लिया है। इनको
अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार वर्ष प्रदान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर मय दील
जिला कलकट्टा

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

३४

अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

- 1 अधिवक्ता का नाम
- 2 पिता का नाम
- 3 आवेदक का पता
पत्र व्यवहार का पता
स्थायी पता फोन नं.
- 4 जन्मतिथि
- 5 शैक्षणिक योग्यता.....
- 6 बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक दिनांक
- 7 दिनांक से पिछले 10 वर्षों के बकालात के दौरान निर्णित मुकदमों का विवरण

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	ऐसवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
		एस.सी	एस.टी	एस.सी	एस.टी
1	अधीनस्थ न्यायालय				
2	उच्च न्यायालय				
3	उच्चतम न्यायालय				

नोट: उक्त तालिका में अंकित विर्णित प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियों।

8. जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र का प्रमाण पत्र।
9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये गये अन्य कार्यों का विवरण मय दस्तावेज
10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण
11. अन्य कोई विवरण

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/ जिला एवं सब न्यायाधीश कार्यालय..... की टिप्पणी
श्री/ श्रीमती को अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार वर्ष
के लिए अभिशेषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील

जिला कलक्टर/ जिला एवं सब न्यायाधीश

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।